कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1996–97

निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान-सरकार

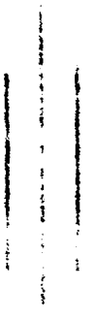

वार्षिक
विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन
1996-97

निदेशालय,
अल्पसंख्यक विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

: :प्राक्कथन: :

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का वर्ष 1996-97 का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में विभाग का संक्षिप्त प्रशासनिक व्यवस्था एवं शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विभाग की उपलब्धियों को बताया गया है । केन्द्र सरकार की सहायता से भी राज्य में शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है । ऐसी संचालित योजनाओं की जानकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गई है ।

आशा है विभागीय गतिविधियों का यह प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों शिक्षा योजनाकारों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों एवं अन्य सम्बन्धितों के लिये उपयोगी होगा । इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 21. 2. 98

प्रकाशन में सहयोग सांख्यिकी अधिकारी/कर्मचारी

निर्देशन :-

श्री जे०के० सेठिया : उप निदेशक (सांख्यिकी)

प्रारूप लेखन एवं सज्जा :

1. श्री गौरीशंकर व्यास : सांख्यिकी सहायक
2. श्री सत्यप्रकाश शुक्ला : सांख्यिकी सहायक
3. 3. श्री भैरू सिंह : सांख्यिकी सहायक
4. श्री रमेश व्यास : सांख्यिकी सहायक

संकलन :-

श्री सुरेश कुमार शर्मा : सांख्यिकी निरीक्षक

टंकण कर्ता :-

श्री नरेन्द्र कुमार गौड़ : क० लि०

अनुक्रमणिका

कहाँ क्या है	पृष्ठ संख्या
1. सामान्य परिचय	01
2. शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप	01 से 04
3. शैक्षिक प्रगति –	
I. पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक	04 से 05
II. उच्च प्राथमिक	05 से 06
III. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	06
4. बालिका शिक्षा	07 से 08
5. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ	08 से 14
6. शिक्षा के क्षेत्र में अन्य योजनाएँ	14 से 15
7. व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकि प्रवृत्तियाँ	15 से 16
8. आयोजना एवं प्रशासन –	
8.1 योजना एवं लेखा	16 से 17
8.2 भवन स्थिरीकरण	17
8.3 न्यायिक प्रकरण	17
8.4 विभागीय जाँच प्रकरण	17
8.5 रिक्त पदों की पूर्ति	18
8.6 राजकीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	18
8.7 हितकारी निधि	19
8.8 छात्रवृत्तियाँ	19 से 20
8.9 अनुदानित संस्थाएँ	20
8.10 शिक्षक क्षितिज समारोह	20 से 21
8.11 शिक्षक सदन	21
9. पुस्तकालय { समाज शिक्षा }	21
10. शिक्षक प्रशिक्षण	21 से 22
11. शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ	22
12. विभागीय प्रकाशन	22 से 23
13. शिक्षक संघों की भूमिका	23
14. विशिष्ठ शैक्षिक अभिकरण	23
15. शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित सारणियाँ	24 से 27

राजस्थान राज्य में आलोच्य वर्ष में कुल 31 जिले है, जिनमें 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 4.40 करोड़ है । इसमें 2.304 करोड़ पुरूष एवं 2.096 करोड़ महिलाऐं है । 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या 0.760 करोड़ है एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.547 करोड़ है । राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व 129 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है ।

1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत 38.55 हो गया है जिसमें पुरूषों का 54.99 एवं महिलाऐं 20.44 प्रतिशत है । 1991 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 30.57 प्रतिशत जिसमें 47.64% पुरूष एवं 11.59% महिलाऐं है । राजस्थान के शहरी क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 65.33% है जिसमें पुरूष 78.50 % एवं महिलाऐं 50.24% है । राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 1951 से 1991 तक 4 गुणा से अधिक बढ़ा है ।

(2) शिक्षा विभाग का प्रशासनिक स्वरूप :-

निदेशालय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के निदेशक पद पर वर्ष 96-97 में डॉ0बी0शेखर आई0ए0एस0 निदेशक के पद पर कार्यरत रहे ।

(क) निदेशालय:-

(1) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर मुख्यालय पर निम्नलिखित अधिकारी है :-

1- निदेशक - आई0ए0एस0
2- विशेषाधिकारी - आई0ए0एस0 (प्राथमिक शिक्षा)
3- मुख्यलेखाधिकारी (बजट)
4- अपर निदेशक -2 (प्राथमिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा)
5- अतिरिक्त निदेशक - आर0ए0एस0 (सामान्य प्रशासन)
6- संयुक्त निदेशक - 3 (कार्मिक, प्राथमिक एवं प्रशासन)
7- उप निदेशक - 6 (प्रशासन योजना, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा, खेल एवं शिक्षक प्रशिक्षण)
8- उप निदेशक (सांख्यिकी)
9- उप निदेशक (क)
10- वरिष्ठ लेखाधिकारी
11- निरीक्षक शारीरिक शिक्षा (जि0शि0अ0)

12- वरिष्ठ सम्पादक (जि0शि0स0)

13- जिला शिक्षा अधिकारी (अल्प भाषाई)

14- सहायक निदेशक -7

15- लेखाधिकारी -3

16- स्टॉफ ऑफिसर

17- शोध अधिकारी

18- सहायक विधि परामर्शी

19- वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी -12

20- सम्पादक विभागीय प्रकाशन

21- उप जिला शिक्षा अधिकारी (भा0शि0)

22- जनसम्पर्क अधिकारी

23- तांत्रिकी अधिकारी

24- वरिष्ठ प्रकाशन सहायक

25- शिक्षा प्रसार अधिकारी -2

26- व्याख्याता -2

27- प्रशिक्षक- 4

28- मूल्यांकन अधिकारी

29- सहायक लेखाधिकारी-13

30- मुख्य विधि सहायक

31- प्रशासनिक अधिकारी -4

(11) निदेशालय समाज शिक्षा

1- उप निदेशक

2- सहायक निदेशक

3- सहायक वैधिक अधिकारी

(111) पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ :

1- पंजियक -

2- वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी

3- उप पंजियक

(ख) मण्डल स्तर

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के कार्य एवं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मण्डल कार्यालयों का गठन किया गया है । प्रत्येक मण्डल में दो कार्यालय है, पुरुष एवं महिला । जिनके अधीनस्थ क्रमशः बालक एवं बालिका शिक्षण संस्थाऐं है ।

(ग) जिला स्तरीय प्रशासन :

राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के तीन पद है । जयपुर जिले में 4 पद है । जिला स्तर पर निम्नलिखित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है –

1– जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाऐं)
2– जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाऐं)
3– जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

प्रत्येक जिले में शहरी क्षेत्र के प्राथमिक एवं जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्र) के परिक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा) जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) तथा शहरी क्षेत्र के बालिका प्राथमिक समस्त जिले के बालिका उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) कार्यरत है ।

राज्य में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की प्रबन्ध व्यवस्था का दायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को सौंपा गया तथा शैक्षिक मार्गदर्शन एवं शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य शिक्षा विभाग के अधीन है ।

जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य जिले की समस्त अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखना, उनकी सूचनाऐं एकत्र कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार, निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना है ।

.....

शैक्षिक संस्थाओं पर प्रशासनिक नियन्त्रण बनाये रखने का दायित्व भी जिला शिक्षा अधिकारी का ही है । इनके कार्य को मदद के लिए जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है ।

§3§ शैक्षिक प्रगति :-

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अथक सुनियोजित प्रयासों के परिणाम से शिक्षा और साक्षरता में काफि वृद्धि हुई है । राजस्थान की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत थी बढ़कर 1991 में 38.55 प्रतिशत हो गयी है । जबकि भारत का साक्षरता प्रतिशत 52.21 है । 1951 की तुलना में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 8 गुणा, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में 18 गुणा माध्यमिक विद्यालय में 20 गुणा और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 50 गुणा वृद्धि वर्ष 55-56 की तुलना में हुई है । शिक्षकों की संख्या 18600 से बढ़कर 2.796 लाख हो गयी है । जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत प्रशिक्षित है । राज्य के 6-14 आयु वर्ग के केवल 10 लाख छात्र-छात्राओं को शिक्षा सुविधा वर्ष 1951 में उपलब्ध थी जो वर्तमान में बढ़कर औपचारिक शिक्षा 84.14 लाख हो गई है ।

पूर्व प्राथमिक

वर्ष 1996-97 में राज्य में कुल 27 पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है । जिसमें 13 छात्र एवं 14 छात्रा स्तर के है । इन विद्यालयों कुल 6649 विद्यार्थी अध्ययनरत है । इनमें 3390 छात्र तथा 3259 छात्राऐं है । इन विद्यालयों में कुल 261 अध्यापक कार्यरत है जिनमें से 44 पुरूष 217 महिलाऐं है । ग्रामीण में केवल चार पूर्व प्राथमिक विद्यालय है ।

प्राथमिक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्धारित लक्ष्यों तथा उसमें वर्ष 1992 में किये गये संशोधन से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर विशेष बल दिया गया है । 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ।

राज्य में वर्ष 96-97 में सन्दर्भ तिथि 30 सितम्बर 1996 के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 33557 हो गई जिसमें 31247 छात्र विद्यालय एवं 2310 छात्रा विद्यालय है । इन विद्यालयों में कुल अध्यापक 96238 कार्यरत है । जिसमें 68090 पुरूष एवं 28148 महिलाऐं है ।

5....

वर्ष 1996-97 में प्रारम्भिक अनौपचारिक शिक्षा के 6-14 आयु वर्ग का नामांकन लक्ष्य 68.20 लाख, अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य 9.72 अनुसूचित जनजाति का नामांकन लक्ष्य 7.17 लाख रखा गया था । कुल 65.59 लाख नामांकन की उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसमें 40.40 लाख छात्र एवं 25.19 लाख छात्राएँ है । अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य प्राप्त 11.61 लाख एवं अनुसूचित जनजाति नामांकन लक्ष्य प्राप्त 7.61 लाख है ।

वर्ष 96-97 में ग्रामीण क्षेत्र में 500 प्राथमिक विद्यालय राज्य योजना से खोले जाने थे 435 प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति जारी की गई । ग्रामीण क्षेत्र के नवीन प्राथमिक विद्यालय ऐसे विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में खोले गये है जहां की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 250 तथा जनजाति क्षेत्र रेगिस्तानीय क्षेत्रों में 150 या इससे अधिक है ।

राज्य के 4003 एकल अध्यापकीय विद्यालय में दूसरा अध्यापक उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी की गई है । इसके अतिरिक्त 100 से अधिक वाले 1962 ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में तीसरा अध्यापक का पद उपलब्ध कराया गया है ।

नवीन 435 प्राथमिक विद्यालयों मे 870 अध्यापकों की स्वीकृति जारी की गई है ।

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि एवं छात्रों के विद्यालयों में ठहराव में सुधार तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बालक-बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 1 से 5 तक समस्त विद्यार्थी तथा कक्षा एक से आठ तक की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई जिन पर 15.14 करोड़ रुपये व्यय किए गए है । इस योजना से 58.50 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए है ।

(11) उच्च प्राथमिक

राजस्थान में वर्ष 1996-97 में सन्दर्भ तिथि 30 सितम्बर, 96 के आधार पर कुल 13283 उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 11857 छात्र विद्यालय एवं 1426 छात्रा विद्यालय है । इन विद्यालयों में कुल 98383 अध्यापक कार्यरत है । 73348 पुरुष एवं 25038 महिलाएँ अध्यापक है । 11-14 आयु वर्ग के समस्त नामांकित विद्यार्थियों का वर्ष 96-97 में नामांकन लक्ष्य 20.95 लाख रखा गया । अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन लक्ष्य 2.91 लाख तथा अनुसूचित जनजाति लक्ष्य 2.10 लाख रखा गया । समस्त जातियों विद्यार्थियों का नामांकन उपलब्धि वर्ष 96-97 में (30.9.96) के आधार पर 18.56 लाख प्राप्त की गई जिसमें

13.31 लाख छात्र एवं 5.25 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जाति का लक्ष्य प्राप्ति 2.81 लाख तथा अनुसूचित जनजाति नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 1.58 लाख है ।

वर्ष 96-97 में 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया जिनमें 15 बालिका प्राथमिक विद्यालय शामिल है । क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसी ग्राम पंचायतों में खोले गये है जहां पूर्व में उप C स्तर की शिक्षा सुविधा नहीं है ।

(III) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास विस्तार किया है । राज्य में वर्ष 96-97 में सन्दर्भ तिथि 30.9.1996 के आधार पर 3584 माध्यमिक विद्यालय तथा 1412 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है । जिनमें से क्रमशः 3124 छात्र 460 छात्रा एवं 1113 छात्र एवं 299 छात्रा विद्यालय है । माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक 45885 है । जिनमें 33883 पुरुष एवं 12002 महिलाऐं है । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक 38905 है जिन मेंसे 26880 पुरुष एवं 12025 महिलाऐं है ।

माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में स्तरा अनुसार (कक्षा 9से12) नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 10.74 लाख जिनमें 8.00 लाख छात्र एवं 2.74 लाख छात्राऐं है । अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य प्राप्ति 1.28 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन लक्ष्य प्राप्ति कुल 0.87 लाख है ।

माध्यमिक शिक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु वर्ष 96-97 में सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्नवत विद्यालय प्रावधानुसार क्रमोन्नत किये गये -

क्र.सं.	स्तर	[illegible]	क्रमोन्नत विद्यालय		
			छात्र	छात्रा	योग
1.	**उच्च प्राथमिक से माध्यमिक**	**राजकीय**	**72**	**10**	**82**
2.	" " "	अराजकीय	122	08	130
3.	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक	राजकीय	57	13	70
4.	" " "	अराजकीय	16	03	19

(4) बालिका शिक्षा

राजस्थान में 30 सितम्बर, 1996 को बालिका शिक्षा के 14 पूर्व प्राथमिक 2310 प्राथमिक, 1426 उच्च प्राथमिक, 460 माध्यमिक एवं 299 उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत है। 299 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों मेंसे 34 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है।

राज्य में कुल 77430 महिला अध्यापक कार्यरत है इनमें विद्यालयवार इस प्रकार है पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में 217 प्राथमिक विद्यालयों में 28148 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25038, माध्यमिक विद्यालयों में 12002 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12025 महिला अध्यापक है।

वर्ष 96-97 में बालिका नामांकन स्तरानुसार पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5 तक (6-11 आयु वर्ग) 25.19 लाख, कक्षा 6-8 (11-14 आयु वर्ग) 5.24 लाख कक्षा 9-12 (14 से 17 आयु वर्ग) 2.74 लाख है।

वर्ष 96-97 में बालिका शिक्षा के नामांकन वृद्धि एवं ठहराव को तुलनात्मक करने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया। इस योजना में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "सरस्वती शाला" नामक अभिनव योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आंगन में ही बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने को इच्छुक शिक्षक महिला को प्रशिक्षण देकर सरस्वति शाला संचालन करने पर 4000/ प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जावेगा। वर्ष 96-97 तक इस योजना अन्तर्गत 1220 केन्द्र स्वीकृत किये गए है। इस हेतु 650 सरस्वती महिला को प्रशिक्षण दिया जा चुका शालाऐं प्रारम्भ की जा चुकी है।

राज्य में जनजाति उप योजना क्षेत्र में 5 जिलों एवं रेगिस्तान क्षेत्र के 4 जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बालिकाओं को यातायात हेतु प्रति बालिका 90/- दिये जा रहे है।

राज्य में कुल 14 महिला शिक्षा महाविद्यालय है । इनमें कुल 1980 सीटें है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों में 20% स्थान महिलाओं के आरक्षित है । राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवापूर्व प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत सीटों में 40% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है ।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग के सभी 6 सम्भागीय मुख्यालयों पर 50-50 की क्षमता के बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है ।

राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना की गई । इस फाउण्डेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं का उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी । इस फाउण्डेशन में कोरियस राशि के रूप में एक करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये है ।

वर्ष 96-97 में नवीन बालिका प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में खोले गये बालिकाओं के लिए वर्ष 1996-97 में 15 उच्च प्राथमिक, 18 माध्यमिक तथा 16 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर बालिकाओं के लिए पृथक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया गया है ।

§5§ केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं -

§1§ विकलांग शिक्षा :-

सभी प्रकार के विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था दो प्रकार के विद्यालयों द्वारा दी जाती है ।

§अ§ विकलांग एकीकृत शिक्षा योजना -

इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 41 विद्यालय विभिन्न जिला मुख्यालयों पर चल रहे है जिनमें 23 उच्च प्राथमिक एवं 18 उच्च माध्यमिक विद्यालय है । इनमें विकलांग बच्चों का नामांकन लगभग 1601 है ।

§ ब § द्वितीय प्रकार के विद्यालय -

§विकलांगता विशेष से सम्बन्धित है§ राज्य में इस श्रेणी के कुल 22 विद्यालय संचालित है जिनमें 19 विद्यालय गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा तथा तीन राजकीय विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे है । ये विद्यालय विकलांगतावार

तीन श्रेणियों के है [1] दृष्टिहीन बच्चों के विद्यालय [2] मूक बधिर बच्चों के विद्यालय [3] मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय ।

विकलांग शिक्षा योजना हेतु 96-97 में 77.30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया । जिसमें से 44.01 लाख रुपये व्यय हुए ।

[स] विकलांग एकिकृत शिक्षा परियोजना पी.आई.ई.डी. [छबड़ा]

यह योजना केन्द्र सरकार व यूनिसेफ की सहायता से राज्य में पंचायत समिति छबड़ा [जिला बारां] में नवम्बर 1987 से संचालित की जा रही है । इस योजना में विकलांग बालकों की पहचान एवं स्वास्थ्य की जांच कराई जाती है । विकलांग बालकों को उपकरण पोशाकें पाठक भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाता है । यह योजना पंचायत समिति छबड़ा के प्राथमिक स्तर से सीनियर माध्यमिक स्तर के सभी [illegible] विद्यालयों में लागू है । 96-97 में 831 विकलांग विद्यार्थियों का नामांकन है ।

छबड़ा योजना अन्तर्गत वर्ष 96-97 में 14.39 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें से 13.62 लाख रुपये व्यय किये गये ।

[11] विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा योजना -

राजस्थान में केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1988 से विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा प्रारम्भ की गई । राज्य में यह योजना जयपुर एवं अजमेर जिलों में क्रियान्वित है । वर्ष 96-97 में इस योजना पर 0.01 लाख रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया ।

[12] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान [डाईट्स] -

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्य के कुल 31 जिलों में से 27 जिलों में जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों [डाईट्स] की स्थापना हो चुकी है नवीन 4 जिलों यथा राजसमंद, बारां, दौसा एवं हनुमानगढ़ में डाईट्स की स्थापना किया जाना शेष है जिसके लिए पृथक से प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे है ।

राज्य में संचालित 27 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 96-97 में कुल 1761 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 42466 सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया गया । 27 जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में कुल 1550 सीटों का आवंटन किया गया जिसमें 930 छात्र एवं 620 छात्राओं के लिए है । समस्त डाईट्स पर वर्ष 96-97 में कुल व्यय प्रावधान 1074.72 लाख रखा गया जिसमें से 799.27 लाख व्यय किये गये ।

(IV) ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना -

प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में "ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड" योजना राजस्थान में प्रारम्भ की गई ।

योजना की क्रियान्विति के समय राज्य में 9613 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उनमें से 10% विद्यालयों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनजाति क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया । इस क्षेत्र के 961 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भारत सरकार से 50000 रूपये की दर से 480.50 लाख रू. की राशि प्राप्त की गई । इसमेंसे 470.90 लाख रू की राशि की स्वीकृति सामग्री क्रय हेतु जारी की गई ।

ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड विस्तार योजना में राज्य के 942 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामग्री एवं उपकरण हेतु 376.80 लाख रू की राशि भारत सरकार से प्राप्त कर स्वीकृत की गई ।

इस योजना में चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त अध्यापक का पद उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने 1903 तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पदों की स्वीकृति प्राप्त की गई ।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु राज्य योजना से शिक्षा विभाग अंशदान के रूप में 425 लाख रू की स्वीकृति जारी की गई । जे0आर0वाई0 के सहयोग से कुल 157432 लाख रू का निर्माण कार्य करवाया गया ।

भारत सरकार से वर्ष 96-97 में ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना अन्तर्गत सृजित 7228 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए 3802.45 लाख रूपये प्राप्त हुए । वास्तविक व्यय 3488.16 लाख रू किये गये ।

(V) जनसंख्या शिक्षा योजना -

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आर्थिक अनुदान एवं एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली के शैक्षिक मार्गदर्शन में 1981 से यह योजना एस. आई. ई. आर. टी. उदयपुर द्वारा पूरे राज्य में संचालित की जा रही है । जनसंख्या शिक्षा योजना में 129 कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें 4083 लाभान्वित किये गये । जनसंख्या शिक्षा तत्वों का पाठ्य पुस्तकों में 158 स्थलों पर समावेश किया गया । विश्व जनसंख्या दिवस, एड्स दिवस, जनसंख्या सप्ताह, का समारोह कार्यक्रम क्षेत्र में आयोजित किये गये । वर्ष 96-97 में 4.77 लाख रू. व्यय का प्रावधान रखा गया, जबकि 4.83 लाख रू. व्यय किये गये ।

(VI) शिक्षा कर्मी योजना –

राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित समस्याग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों की समस्या के निवारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा कर्मी परियोजना अक्टूबर 1987 से आरम्भ की गई । इसके संचालन हेतु स्वायत्तशासी संस्था राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड का गठन किया गया । यह योजना सीडा के सहयोग से चलाई जा रही है ।

वर्ष 96–97 में यह परियोजना राज्य के 27 जिलों की 91 पंचायत समितियों के 1583 दिवस विद्यालयों में 3860 शिक्षा कर्मियों द्वारा संचालित है । इन शिक्षा कर्मियों द्वारा 2520 प्रहर पाठशालाएँ भी संचालित की गई । विद्यालय एवं प्रहर पाठशालाओं में 76823 बालक तथा 49877 बालिकाएँ (कुल 126700) अध्ययनरत है ।

(VII) सीमान्त क्षेत्रीय शैक्षिक विकास कार्यक्रम – सीमान्त क्षेत्रीय चार जिले जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर की चयनित पंचायत समितियों में यह योजना चलाई जा रही है । इस योजना के तहत विद्यालय भवन निर्माण के अतिरिक्त अध्यापक, छात्रावास सुविधाएँ तथा न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है ।

(VIII) राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां –

इस योजना में ग्रामीण प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन कर रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों का जिला स्तर पर परीक्षा आयोजन के पश्चात चयन किया जाता है । वर्ष 96–97 में इस योजना पर 0.56 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है

(IX) संस्कृत छात्रवृत्ति –

संस्कृत विषय के अध्ययन के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ाने हेतु कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को संस्कृत छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है । छात्रों का चयन वरीयता के आधार पर किया जाता है । वर्ष 96–97 में इस योजना पर 0.72 लाख रु. की राशि व्यय की गई ।

(X) व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजस्थान राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यावसायिक शिक्षा 1987–88 से 10 जमा दो स्तर पर आरम्भ की गई । शिक्षार्थी

योजना का प्रमुख उद्देश्य है ।

वर्तमान में 16 पाठ्यक्रमों के साथ 156 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में यह योजना चल रही है । लड़कों को 123 तथा 33 लड़कियों के विद्यालय है ।

व्यावसायिक शिक्षा में वर्ष 96-97 में कुल नामांकन 15433 रहा जिसमें 11131 बालक एवं 4302 बालिकाएँ है । कक्षा 11 में कुल 8221 छात्र/छात्रा एवं कक्षा 12 में 7212 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है ।

राज्य में वर्ष 94-95 से 15 विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई है । प्रायोगिक रूप से प्राथमिक चरण में यह योजना उन्हीं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ की गई है जहां जमा दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पहले से चल रही है । पूर्व व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित 7 विषयों मेंसे 4 विषयों की सुविधा उक्त विद्यालयों में उपलब्ध है ।

व्यावसायिक शिक्षा पर वर्ष 96-97 में 637.13 लाख रू. व्यय का प्रावधान रखा गया जिसमेंसे 371.32 लाख रूपये व्यय किये गये ।

(XI) विज्ञान शिक्षण सुधार योजना :-

वैज्ञानिक अभिवृद्धि को बढ़ावा देने एवं विज्ञान के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राज्य में वर्ष 87-88 में चालू की गयी । यह योजना 27 जिलों में पांच चरणों में लागू की गई । इस योजना के तहत वर्ष 96-97 में 0.64 लाख रूपये व्यय का प्रावधान रखा गया ।

(XII) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का प्रतिभा विकास योजना -

यह योजना भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता के अन्तर्गत वर्ष 87-88 से चालू है । उच्च शिक्षा की आंकाक्षा रखने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को प्रातः एवं सांयकालीन विशेष कक्षाएँ लगाई जाकर पांच विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । यह योजना राज्य के 3 विद्यालयों में संचालित है । इस योजना के तहत वर्ष 96-97 में 6.30 लाख रूपये व्यय किये गये ।

(XIII) आई०ए०एस०ई०/सी०टी०ई० :-

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत दो राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीकानेर, अजमेर, तथा गैर राजकीय क्षेत्र के विद्याभवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर, गांधी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सरदारशहर (चूरू) में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान संचालित है। 6 कॉलेज ऑफ टीचर एज्यूकेशन (सी.टी.ई.) की स्थापना विभिन्न चरणों में क्रमशः जोधपुर, डबोक, हटुण्डी, बग्गड़, संगरिया, फुलासर की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 96-97 में 52.37 लाख की राशि व्यय की गई।

(XIV) शैक्षिक प्रौद्योगिकी (ई०टी०योजना)

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना अन्तर्गत राज्य के प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में रंगीन टेलीविजन एवं रेडियो कम कैसेट प्लेयर (आर.सी.पी.) उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत 96-97 में 307.32 लाख रू. व्यय का प्रावधान रखा गया।

(XV) राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढ़िकरण की योजना

एस०आई०ई०आर०टी० को सुदृढ़िकरण योजना हेतु केन्द्रीय सरकार 50% सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 96-97 में 23.75 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया।

(XVI) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए सघन क्षेत्र कार्यक्रम

भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग ... शतप्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर सघन क्षेत्र कार्यक्रम प्रारम्भ जैसलमेर जिले ... । वर्ष 96-97 में भारत सरकार ने सघन क्षेत्र कार्यक्रम में जिला इकाई के रूप में न ... विकास खण्ड को इकाई के रूप में रखा एवं 5 जिलों के नौ विकास खण्डों को ... अन्तर्गत चयनित किया एवं 128.08 लाख रुपये व्यय किये गये।

(XVII) क्लास प्रोजेक्ट योजना -

कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत क्लास प्रोजेक्ट नामक योजना वर्ष 94-95 में प्रारम्भ की गयी। क्लास प्रोजेक्ट राज्य

के 235 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है । वर्ष 96-97 में क्लास प्रोजेक्ट योजना पर 37.50 लाख रू. व्यय करने का प्रावधान रखा गया ।

(XVIII) जवाहर नवोदय विद्यालय -

नई शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जा रहे है । राज्य के 31 जिलों मेसे 28 जिलों में इन विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है । इन विद्यालयों का नियन्त्रण केन्द्रीय विद्यालय संगठन ; क्षेत्रीय कार्यालय ; दुर्गापुरा जयपुर द्वारा किया जाता है ।

(8) शिक्षा के क्षेत्र में अन्य योजनाऐं -

1. श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्रोत्साहन योजना -

शिक्षा के स्तर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत बोर्ड के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणामों में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय को 50000 रूपये प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 25,000रूपये की प्रोत्साहन राशि देने की योजना प्रारम्भ की गई है । इस योजनान्तर्गत वर्ष 96-97 में 65 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन सम्मान उनके संस्था प्रधानों को दिया गया । राज्य सरकार ने 17.50लाख रूपयों का प्रावधान की योजना के क्रियान्वयन में दिनांक 12.1.97 को जयपुर के रवीन्द्र मंच पर आयोजित किया गया ।

2. परीक्षा परिणाम उन्नयन -

वर्ष 96-97 में सुदृढ़ निरीक्षण व्यवस्था, अधिकाधिक रिक्त पदों को पूरा किया जाना, आदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण व उनको हल करवाना, प्रतिभाशाली छात्रों का मार्गदर्शन, परीक्षा परिणाम उन्नयन की योजना की क्रियान्विति आदि से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणामों में निर्धारित + 05.75 % एवं +1.2% वृद्धि हुई है । वहाँ प्रथम श्रेणी में पास होने वाले व योग्यता सूची में राजकीय विद्यालयों के छात्रों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है ।

3. गुरू-मित्र योजना -

शिक्षकों की अध्ययन क्षमता में निखार करने तथा बालकों को आनंददायी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से 6 जिलों में गुरू-मित्र योजना संचालित है । योजना का विद्यालयों में सामाजिक एवं ठहराव पर सकारात्मक प्रभाव लक्षित हुआ है । वर्ष 1996-97 में 4 नवीन जिलों में इस योजना का विस्तार

.....15....

कर वर्तमान में यह योजना राज्य के 10 जिलों में लागू कर दी गई है ।

4. शाला प्रवेशोत्सव -

राज्य में 8-13 जुलाई 1996 की अवधि में चार पंचायत समितियों के अतिरिक्त पूरे क्षेत्र में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 6-14 आयुवर्ग के विद्यालयों से बाहर रह रहे बालक - बालिकाओं को नामांकित करने का प्रयास किया गया । प्रवेशोत्सव के दौरान लगभग 153120 बालक-बालिकाओं ने प्रवेश लिया।

5. विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना -

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए "विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना" नामक एक कल्याणकारी बीमा योजना 14 नवम्बर, 1996 से प्रारम्भ की गई है । भारत वर्ष में मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान इस योजना को प्रारम्भ करने वाला दूसरा राज्य है और सम्पूर्ण प्रीमियम का भुगतान सरकारी खजाने से करने वाला पहला राज्य है ।

6. सहभागी विद्यालय मरम्मत योजना

राजकीय विद्यालय भवनों के मरम्मत कार्य जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "सहभागी विद्यालय मरम्मत योजना" प्रारम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत लागत की 50 % राशि जनसहयोग से उपलब्ध करवाने पर शेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । इस हेतु वर्ष 1996-97 में 2.00 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये है । विद्यालय भवनों के रखरखाव की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा ।

7. भामाशाह सम्मान योजना -

शाला भवन निर्माण एवं भौतिक संसाधनों के विकास में समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों का पहचान भामाशाह के रूप में किया गया है । इस योजना के उत्साहवर्धक परिणाम अब सामने आये है । वर्ष 1996 में 116 भामाशाहों व 9 प्रेरकों को सम्मानित किया गया ।

(7) शारीरिक शिक्षा एवं सहशैक्षिक प्रवृतियां -

प्राथमिक विद्यालय स्तर से सीनियर माध्यमिक विद्यालय तक किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा सभी स्तरों पर लागू है । माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तो यह अनिवार्य है । विद्यालय खेलकूद ड्रिल एवं योगासन आदि

के नियमित आयोजना हेतु स्पष्ट निर्देश है । शाला पंचांग में भी विभिन्न खेल-कूद जिला स्तर राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हेतु तिथियां निर्धारित रहती है । वर्ष 96-97 में शारीरिक शिक्षा एवं सहशैक्षिक प्रवृत्तियों के अन्तर्गत सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल खेलकूद प्रतियोगिताएं, शैक्षिक भ्रमण, पर्वतारोहण, योगशिक्षा, स्काउटिंग, व गाईड, एन.सी.सी. एवं राष्ट्रीय सेवा योजनाएँ कार्यरत है ।

§8§ आयोजना एवं प्रशासन —

8.1 योजना एवं लेखा -

निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा वर्ष 96-97 में नियन्त्रित मदों के आधार पर स्वीकृत आय-व्यय का विवरण इस प्रकार है-

I आय-व्यय §राजस्व§ वर्ष 96-97§ राशि लाखों में §

मद	बजट आवंटन	अतिरिक्त आवंटन §संशोधित अनुमान§	अन्तिम अनुदान	व्यय
1. आयोजना भिन्न	131139.62	140783.50	142416.63	141587.10
प्रभृत	0.25	0.25	14.00	11.64
2. आयोजना	30478.98	33802.52	32158.58	31661.35
3. केन्द्र प्रवर्तित	7841.76	8467.97	6731.97	6721.40
योग	169460.36	183053.99	181307.18	179969.85
प्रभृत	0.25	0.25	14.00	11.64

** II वार्षिक योजना 1996-97 § राशि लाखों में §

मद	वास्तविक योजना	संशोधित योजना	योजना व्यय
राज्य योजना			
1. प्रारम्भिक शिक्षा	20313.77	20760.14	20112.11
2. माध्यमिक शिक्षा	12889.36	13231.48	13173.04
3. शारीरिक शिक्षा	90.00	75.76	74.70
4. सार्वजनिक पुस्तकालय	15.00	14.20	14.20
योग	33308.13	34081.58	33374.11

मद	योजनाएं	संशोधित योजना	योजना व्यय
केन्द्र प्रवर्तित योजना			
1. प्रारम्भिक शिक्षा	6719.02	7140.61	5794.34
2. माध्यमिक (शि.)	877.21	915.46	462.49
योग	7596.23	8056.07	6256.83

8.2 पेन्शन स्थिरीकरण

वर्ष 96-97 में कुल 2928 राजपत्रित/अराजपत्रित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। सेवानिवृत होने वाले राज्य सेवकों को सेवानिवृत्ति लाभों को उसी माह में भुगतान कर दिये जाने के निरन्तर सफल प्रयास किये गये। 245 राजपत्रित अधिकारियों के स्थिरीकरण, 22 पेन्शन अदालत के प्रकरण 42 पेन्शन पारेषणा के प्रकरण, 615 सामान्य प्रावधायी निधि के राजपत्रित प्रकरण एवं 987 सामान्य वित्तीय लेखा नियम 03 के अधिकार के प्रकरण निपटाये गये।

8.3 न्यायिक प्रकरण —

शिक्षा विभाग में राज्य के विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 96-97 के प्रारम्भ में 6954 न्यायिक प्रकरण विचाराधीन थे। वर्ष में 1910 प्रकरण नये दायर हुए। कुल मेसे 1836 प्रकरण निर्णित हुए एवं वर्ष के अन्त में 31 मार्च, 97 को 7028 न्यायिक प्रकरण शेष रहे।

अवमानना के विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 96-97 के प्रारम्भ में 197 प्रकरण थे। वर्ष में 41 प्रकरण नये दायर हुए। कुल मेसे 99 अवमानना वादों को खारिज करवाया गया। शेष रहे 139 अवमानना वादों मेसे विभाग द्वारा निर्णयानुसार पालना कर 94 अवमानना वादों का जवाब प्रस्तुत करवाया गया।

8.4 - विभागीय जांच प्रकरण ---

वर्ष 96-97 में सी.सी.ए. 16 के 125 मेसे 10 तथा सी.सी.ए. 17 के 693 मेसे 485 प्रकरण निपटाये गये है। प्रारम्भिक जांच के 432 मेसे 151 प्रकरणों को निपटाया गया। निलम्बन के कुल 29 प्रकरणों मे से 18 को निपटाया गया।

8.5 रिक्त पदों की पूर्ति ----

रिक्त पदों की पूर्ति के सम्बन्ध जत वर्ष शिक्षकों (तृतीय व द्वितीय श्रेणी) एवं अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकल बिन्दु भर्ती प्रणाली जारी रखी गयी है। सत्र 1996-97 के लिए विज्ञापित रिक्तियों पर भर्ती की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। आलोच्य वर्ष में विभिन्न स्तर के भरे गए पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	संवर्ग	भरे गए पदों की सं.
1.	अतिरिक्त निदेशक एवं समकक्ष	3
2.	संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष	6
3.	उप निदेशक एवं समकक्ष	13
4.	जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष	70
5.	प्रधानाचार्य	111
6.	उप प्रधानाचार्य	271
7.	प्रधानाध्यापक	412
8.	उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा	4
9.	व्याख्याता	3459
10.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	578
11.	वरिष्ठ अध्यापक	837
12.	शारीरिक शिक्षक	48
13.	अध्यापक (तृतीय श्रेणी)	1529
14.	शारीरिक शिक्षक (तृतीय श्रेणी	228
15.	कनिष्ठ लिपिक	1334
16.	पुस्तकालयाध्यक्ष (द्वितीय श्रेणी)	33
17.	पुस्तकालयाध्यक्ष (तृतीय श्रेणी)	12
18.	मृत राज्य कर्मचारी आश्रित-	
अ.	अध्यापक (तृतीय श्रेणी)	23
ब.	कनिष्ठ लिपिक	203
स	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	73
द.	प्रयोगशाला सेवक	46

8.6 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान —

वर्ष 96-97 में शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान में दी गई शिक्षकों के निधन पर उनके 31 आश्रितों को सहायता रू. 82000/- दिये गये। शिक्षक भवनों के निर्माण पर इस प्रतिष्ठान से रू 3100000/- दिये गये

8.7 - हितकारी निधि

वर्ष 96-97 में हितकारी निधि से कर्मचारियों के निधन पर उनके 167 आश्रितों को सहायता रु. 653000/- एवं कर्मचारियों की बीमारी पर 51 प्रकरणों में सहायता रु. 151000/ दिये गये है ।

8.8 छात्रवृत्तियां —

मेधावी निर्धन एवं जरूरतमंद छात्र/छात्रा अर्थाभाव के कारण शिक्षा में वंचित न रह जायें इस दृष्टि से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति योजनायें विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है -

1. संस्कृत विषय में प्रतिभा रखने वाले छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति उक्त योजना में 50% राशि राज्य सरकार व 50% राशि केन्द्र सरकार देय करती है । राशि माह 12 के लिये दी जाती है । सत्र 96-97 में मण्डल अधिकारियों को राशि का आवंटन निम्नवत किया गया -

	राज्य निधि	केन्द्र निधि
स्वीकृत	72000/-	72000/-
आवंटन	72000/-	72000/-

2. अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत्त पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजना -

राशि	लाभान्वित		
	अनु0जाति	जनजाति	योग
	610	481	1091
स्वीकृत राशि	9163733/-	7544151	16707924/-
आवंटित	9163733/-	7544151/-	16707924/-

3. शिक्षा विभाग के बजट मद से सत्र 96-97 में निम्नानुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डल अधिकारियों (पुरुष/महिला) को योजनावार छात्रवृत्ति राशि आवंटित की गई :-

क्र.	छात्रवृत्ति योजना का नाम	लाभान्वित छात्र सं.	देय राशि (लाख)
1	2	3	4
1.	ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति	3867	19.57
2.	अत्यन्त निर्धनता छात्रवृत्ति	6000	6.00
3.	मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	1472	1.64

1	2	3	4
4.	प्रतिभाशाली अनु. जाति/जनजाति के कक्षा 10 के ग्रामीण बालिकाओं के शैक्षिक अभिवृद्धि छात्रवृत्ति ।	130	2.60
5.	मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को एस.टी.सी. हेतु देय छात्रवृत्ति	83	00.25

8.9 अनुदानित संस्थाएँ –

राज्य में गैर सरकारी संस्थाओं ने शिक्षा प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । वर्ष 96–97 में जो संस्थाएँ अनुदान सूची पर है उनका अनुदान प्रतिशतवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	संस्था	25%	50%	60%	70%	80%	90%	योग	छात्र	छात्रा
1.	सी. मा. विद्यालय	3	30	7	20	35	40	135	90	45
2.	माध्यमिक विद्या.	–	23	29	17	13	21	103	69	34
3.	उ. प्रा. विद्यालय	–	62	35	38	13	85	233	146	87
4.	प्राथमिक विद्यालय	–	214	65	56	24	126	485	352	133
5.	विशिष्ट विद्यालय	–	4	5	6	10	46	67	42	25
6.	पुस्तकालय	–	5	27	19	4	2	57	55	2
7.	छात्रावास	–	8	16	–	–	–	24	24	–
8.	शि. प्र. महाविद्या.	–	–	–	–	2	1	3	3	–
10.	केन्द्रीय कार्यालय	–	–	4	7	6	15	32	23	[illegible]
	योग	3	346	184	163	107	336	1139	804	335

वर्ष 96–97 में राज्य के 1139 गैरसरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं को लगभग 4672.70 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया ।

8.10– शिक्षक दिवस समारोह

5 सितम्बर 1996 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका एवं विशिष्ठ सेवा के लिए 48 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरूस्कार से सम्मानित किया गया । इन में 12 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरूस्कार हेतु चयनित किया गया । इसी तरह निदेशालय स्तर पर

34 मंत्रालयिक कर्मचारियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया ।

8.11- शिक्षक सदन

शिक्षक सदन बीकानेर एवं जयपुर का निर्माण हो चुका है इन पर क्रमशः 51.22 लाख, 17.80 लाख रुपये व्यय हुये । शिक्षा विभाग के शिक्षक/कर्मचारी इन दोनों सदनों का उपयोग आवास हेतु करते है । शिक्षक सदन जोधपुर का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं उदयपुर का निर्माण कराया जा रहा है । शिक्षक सदन अजमेर व कोटा के निर्माण कार्य का भी निर्णय लिया जा चुका है ।

§ 9 § पुस्तकालय § समाजशिक्षा §

राज्य में वर्ष 96-97 में 42 सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यरत है । इसमें केन्द्रीय पुस्तकालय-1, मण्डल पुस्तकालय-5, जिला पुस्तकालय-27, एवं इस तहसील पुस्तकालय-9, नॉन प्लान मद में संचालित है । इसके अतिरिक्त 3 पुस्तकालय योजना मद में संचालित है । 42 पुस्तकालयों मेसे 27 पुस्तकालयों के राजकीय भवन है । 15 अराजकीय भवनों में पुस्तकालय संचालितहै । भवनों में फर्नीचर, पुस्तकों को रखने हेतु तमाम सुविधाऐं उपलब्ध है । सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तकों पर 4.50 लाख रुपये एवं पत्र-पत्रिकाओं के लिए 3.05 लाख रुपये व्यय किये जा रहे है । सार्वजनिक पुस्तकालयों पर वर्ष 96-97 में योजना व्यय रू. 14.20 लाख रुपये व्यय किये गये । 15 लाख 97 प्रावधान था जब कि
42 सार्वजनिक पुस्तकालयों के वर्ष 96-97 में पुस्तकों-1130588 सदस्य-19736, पाठक 2088206 लगभग है ।

§ 10 § शिक्षक प्रशिक्षण —

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिये विशेष बल दिया गया। राज्य में कुल 44 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 14 महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है इनमें 5690 प्रशिक्षणार्थियों को बी.एड शिक्षा -शास्त्री, विषय में सीटें आवंटित है । साथ ही 300 अनुसूचित जाति तथा 180 अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु विशेष आवंटन व्यवस्था है । इस प्रकार पूरे प्रान्त में 6170 प्रशिक्षणार्थी सत्र 1996-97 में प्रविष्ठ हुए है । प्रत्येक सामान्य शिक्षक शिक्षक महाविद्यालय में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित है ।

केन्द्रीय प्रवृतित योजना अन्तर्गत राज्य में 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा 6 सी.टी.ई. संस्थाऐं कार्यरत है जिसमें 270 एम.एड व 1770 बी.एड की सीटें आवंटित है ।

उक्त संस्थाओं में सेवारत अध्यापकों एवं नियुक्त प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है ।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 96-97 में कुल 45 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाऐं है जिनमें 27 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, 8 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा 10 गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय कार्यरत है । उक्त में 8 महिला के शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय है । इनसभी में 1910 छात्र एवं 1145 छात्रा कुल 3055 सीटें आवंटित है जिनको सेवापूर्व प्रशिक्षण दो वर्ष की अवधि में दिया जाता है । वर्ष 1996-97 में राजस्थान की समस्त डाईट्स ने अपनी विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत 746 कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर 13980 पुरूष तथा 6788 महिला सेवारत शिक्षक लाभान्वित हो चुके है ।

§ 11 § शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं -

निदेशालय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से पंजियक शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं कार्य कर रहा है । प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को वर्ष में दो बार §मुख्य व पूरक§ परीक्षा आयोजित की जाती है । प्रशिक्षण में प्रवेश पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र भरने से लेकर परिणाम घोषणा एवं अंकतालिका व प्रमाण पत्र वितरण तक का कार्य किया जाता है । वर्ष 96-97 में शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा, वर्ष प्रमाण पत्र प्रिज कोर्स, संगीत भूषण प्रभाकर प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षाऐं आयोजित की गई जिनमें कुल 10199 छात्र छात्राऐं प्रविष्ट हुए । परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 8910 जिसमें 4907 छात्र एवं 4003 छात्राऐं है ।

§ 12 § विभागीय प्रकाशन --

शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन अनुभाग ओर से सम्पूर्ण शिक्षा जगत को जानकारी देने एवं शिक्षा निर्णायक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए प्रति-माह शिविरा पत्रिका और प्रति तिमाही नया शिक्षक/टीचर टू डे प्रकाशित किया जाता है । त्रिमाही प्रकाशन प्रशासनिक कारणों से अनियमित है, फिर भी जुलाई-सितम्बर, 1996 का अंक प्रकाशित किया जा चुका है । शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 37वां वर्ष है । शिविरा पत्रिका की राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपनी विशिष्ट पहचान है ।

वर्तमान में इसकी मासिक प्रसार संख्या 31000 है ।

" शिक्षक दिवस प्रकाशन " के अन्तर्गत वर्ष 1996 में प्रकाशित पांच पुस्तकों का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल द्वारा शिक्षक दिवस 5 सितम्बर, 1996 को किया गया । इस श्रृंखला में वर्ष 1967 से अब तक 156 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है ।

§ 13 § शिक्षक संघों की भूमिका एवं उनका रचनात्मक सहयोग —

शिक्षकों की भूमिका तथा उनके द्वारा अपेक्षित कार्य शिक्षक संघों के संविधान में वर्णित है । उनका वास्तविक कार्य शैक्षिक उन्नयन है । वे अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष कर ही रहे है किन्तु कर्तव्यों के प्रति विमुख रहे है । शिक्षक संघों में अदम्य उत्साह एकजुटता एवं सृजन शक्ति है । वे सामाजिक परिवर्तन के पुर्नउद्धारक बन सकते है । देश का चरित्र निमार्ण करने, भावी पीढ़ी को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उनकी भूमिका सराहनीय हो सकती है ।

निदेशालय के प्रशासनिक अनुभाग में शिक्षक संघ, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ, प्रयोगशाला सहायक संघों व अन्य संघों से सम्बन्धित पत्रों, मांगों पर कार्यवाही की जाती है । समय-समय पर इन संघों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री से निदेशक उनकी मांगों पर वार्ता करते है ।

§ 14 § विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण —

शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए निम्नलिखित विशिष्ट अभिकरण भी कार्यरत है —

1- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
2- शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर
3- प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, राज० जयपुर § अनौपचारिक शिक्षा §
4- राजस्थान (राज्य) पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
5- शिक्षा कर्मी बोर्ड, जयपुर
6- परियोजना निदेशक लोक जुम्बिश, जयपुर
7- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
8- संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर
9- राजकीय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर

(5) शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकायें वर्ष 1996-97

तालिका - 1

आयुवर्गानुसार बालक/बालिकाओं की अनुमानित जनसंख्या व नामांकन

(30. 9. 96)

आयु वर्ग	अनुमानित जनसंख्या (00)			नामांकन (00)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
06-11	33370	31690	65060	40396	25191	65587
11-14	18370	17390	35760	13311	5245	18556
14-17	21460	20190	41650	8004	2739	10743
योग	73200	69270	142470	61711	33175	94886

तालिका-2

राज्य में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति (30. 9. 96)

शाला का प्रकार	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक	00013	0014	00027
प्राथमिक	31247	2310	33557
उ0प्राथमिक	11857	1426	13283
माध्यमिक	3124	460	3584
सी0माध्यमिक	1113	299	1412
योग	48354	4509	51863

तालिका- 3

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति (30. 9. 96)

शाला का प्रकार	ग्रामीण	शहरी	योग
पूर्व प्राथमिक	00004	0023	00027
प्राथमिक	29758	3799	33557
उ0 प्राथमिक	10287	2996	13283
माध्यमिक	2768	316	3584
सी0माध्यमिक	665	747	1412
योग	43482	8381	51863

सारणी -4

स्तरानुसार अनुसूचितजाति / जनजाति नामांकन (30.9.96)

स्तर आयु वर्ग	अनुसूचित जाति नामांकन (00)			जनजाति नामांकन (00)		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5 तक (6-11 वर्ष)	7374	4232	11606	5041	2568	7609
कक्षा 6-8 तक (11-14 वर्ष)	2161	647	2808	1272	312	1584
कक्षा 9-12 तक (14 से 17 वर्ष)	1083	192	1275	764	110	874
योग	10618	5071	15689	7077	2990	10067

सारणी -5

राज्य में विद्यालयवार अध्यापकों की स्थिति (30.9.96)

विद्यालय का प्रकार	कुल अध्यापक संख्या		
	पुरुष	महिला	योग
पूर्व प्राथमिक	00044	00217	00261
प्राथमिक	68090	28148	96238
उ0प्राथमिक	73348	25038	98386
माध्यमिक	33883	12002	45885
उ0माध्यमिक	26880	12025	38905
योग	202245	77430	279675

सारणी - 6

राज्य में विद्यालयवार नामांकन (30.9.96)

विद्यालय	छात्र	छात्रा	योग
पूर्व प्राथमिक	003390	003259	006649
प्राथमिक	2426727	1498784	3925511
उ0 प्राथमिक	2182460	1168179	3350639
माध्यमिक	794242	327878	1122120
उ0माध्यमिक	764260	319457	1083717
योग	6171079	3317557	9488636

तालिका -9

वर्ष 96-97 (30. 9. 96) को रेलवे/केन्द्रीय/नवोदय विद्यालय, नामांकन, अध्यापक संख्या

विद्यालय स्तर	विद्यालय संख्या			नामांकन			अध्यापक संख्या		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	पुरूष	महिला	योग
प्राथमिक	30	01	31	3250	3255	6505	0059	132	191
उप्राथमिक	02	–	02	614	448	1062	18	18	36
माध्यमिक	07	–	07	1854	1226	3080	90	55	145
उच्चमाध्यमिक	42	–	42	26923	16693	43616	1066	903	1969
केन्द्रीय नवोदय विद्यालय	27	–	27	6296	1726	8022	334	110	444
योग	108	01	109	38937	23348	62285	1567	1218	2785

तालिका -10

संकुल विद्यालय प्रकार वर्ष 96-97 (30. 9. 96) को संकुल विद्यालय, नामांकन, अध्यापक संख्या

प्राथमिक	678	28	706	38655	25364	64019	1299	284	1583
उप्राथमिक	230	–	230	35211	18779	53990	1106	558	1664
शिक्षा (माध्यमिक)	81	02	83	12100	3988	16088	672	162	834
वरिष्ठ उपाध्याय (उ. मा0)	30	–	30	6423	1458	7881	270	36	306
योग	1019	30	1049	92389	49589	141978	3347	1040	4387